

कार्यालय मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड

85-राजपुर रोड़, देहरादून (उत्तराखण्ड), फोन न०-0135-2742884 फैक्स-2745691 ई-मेल- cwiwua@yahoo.co.in

पत्रांक 2113 / 12-1 देहरादून

दिनांक 18 जनवरी, 2021

कार्यालय आदेश

जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्रस्तावित नोडखाल-माला किमी० 07 से कोटा मोटर मार्ग (लंबाई-12.050किमी०) के नव-निर्माण हेतु (संशोधित) 4.702 हे० (पूर्व प्रस्ताव 7.465 हे०) वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत पी०एम०जी०एस०वाई०, दुगड्डा को प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव (ऑन-लाइन FP/UK/ROAD/41674/2019) के क्रम में राष्ट्रीय वन्यजीव परिषद की 56वीं बैठक दिनांक 17 दिसम्बर 2019 के बिन्दु सं० 56.4.2 के पैरा-2 (xi) में दिये गये निर्देशों के अनुपालन के लिए उक्त परियोजना के क्रियान्वयन में वन्यजीवों की सुरक्षा के दृष्टिगत प्रभावी अनुश्रवण हेतु निदेशक, राजाजी टाइगर रिजर्व की पत्र सं०-3368/12-1 दिनांक 15 जनवरी 2021 से निम्नप्रकार प्रस्तावित समिति का अनुमोदन कर गठन किया जाता है।

1. उप निदेशक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून - अध्यक्ष
2. अधिशासी अभियंता, पी०आई०यू०एन०पी०सी०सी०, पी०एम०जी०एस०वाई०, दुगड्डा, पौड़ी गढ़वाल - सदस्य
3. वन्यजीव प्रतिपालक (चीला), राजाजी टाइगर रिजर्व - सदस्य


(जे०एस० सुहाग)
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
उत्तराखण्ड

पत्रांक 2113 / 12-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून।
2. उप निदेशक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून।
3. अधिशासी अभियंता, पी०आई०यू०एन०पी०सी०सी०, पी०एम०जी०एस०वाई०, दुगड्डा, पौड़ी गढ़वाल।
4. वन्यजीव प्रतिपालक (चीला), राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून।


(जे०एस० सुहाग)
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
उत्तराखण्ड।

16/1/21